



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112025-267814
CG-DL-E-19112025-267814

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5120]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 19, 2025/कार्तिक 28, 1947

No. 5120]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 19, 2025/KARTIKA 28, 1947

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2025

का.आ. 5291(अ).— केंद्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3 उप-खंड(ii) में प्रकाशित दिनांक 15 मई, 2023 की अधिसूचना का.आ. 2222 (अ) को प्रकाशन की तिथि से तत्काल प्रभाव से संशोधित करती है, अर्थात्: -

(1) केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 5(1)(च) के अंतर्गत श्री आर. रघु राम शर्मा, गौ रक्षक दल, तमिलनाडु, को भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित करती है।

[फा. सं. वी-11/18/2019-प्रशा._6]

के. गुरुमूर्ति, संयुक्त सचिव

नोट: भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन से संबंधित पूर्व अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 2222(अ) दिनांक 15 मई, 2023 के जरिए प्रकाशित हुई थी और तत्पश्चात जिसे दिनांक 22 मई, 2023 के का.आ. 2353(अ),

दिनांक 01 सितंबर, 2023 के का.आ. 3911(अ), दिनांक 19 सितंबर, 2024 के का.आ. 1817, दिनांक 22 सितंबर, 2025 के का.आ. 4376(अ), दिनांक 22 सितंबर, 2025 के का.आ. 4377(अ), दिनांक 1 अक्टूबर, 2025 के का.आ. 4500(अ) से संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2025

S.O. 5291(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and Section 5A of the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby amends the notification S.O. 2222(E) dated 15th May, 2023 published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section(ii) by the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying with immediate effect from the date of publication, namely:-

(1) The Central Government hereby nominates Shri R. Raghu Ram Sharma, Gau Raksha Dal, Tamil Nadu as member of the Animal Welfare Board of India under Section 5(1)(f) of the said Act.

[F. No. V-11/18/2019-Admin_6]

K. GURUMURTHY, Jt. Secy.

Note: The earlier notification regarding reconstitution of the Animal Welfare Board of India was published in the Gazette of India vide number S.O. 2222(E) dated 15th May, 2023 and subsequently amended vide No. S.O. 2353(E) dated 22nd May, 2023, No. S.O. 3911(E) dated 01st September, 2023, No. S.O. 1817 dated 19th September, 2024, No. S.O. 4376(E) dated 22nd September, 2025, No. S.O. 4377(E) dated 22nd September, 2025 and S.O. 4500(E) dated 1st October, 2025.